(6)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2431/11/2002 विरूद्व आदेश दिनांक 03.08.2002 – पारित -- व्दारा अपर आयुक्त,सागर संभाग, सागर – प्रकरण कमांक 1929/ अ–13/96–97 अपील

1– अनन्तराम 2– शोभालाल
दोनों पुत्रगण रामनाथ ब्राहमण
ग्राम पीरा तहसील राजनगर जिला छतरपुर ----आवेदकगण

विरूध्द

1– शौकीलाल 2– जगदीश
3– कालीचरण पुत्रगण प्यारेलाल
तीनों ग्राम पीरा तहसील राजनगर जिला छतरपुर ----अनावेदकगण

आवेदकगण के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव

अनावेदकगण के अभिभाषक अनुपस्थित

आदेश

(आज दिनांक 26-5- 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 1929/ अ–13/96–97 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3.8.2002 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण व्दारा नायव तहसीलदार वृत्त चन्द्रनगर तहसील राजनगर को प्रार्थना पत्र प्रेषित करवाते हुये मांग रखी कि ग्राम पीरा स्थित भूमि सर्वे नबर 351,352 उनके नाम है जिस पर पहुंचने हेतु शौकीलाल आदि की भूमि से रूढ़िगत रास्ता है किन्तु इन्होंने वागड लगाकर रास्ता बंद कर दिया है जिसके कारण वह भूमि पर नही पहुंच पा रहे हैं इसलिये रास्ता खुलवाया जावे। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 01/95–96 अ 13

पंजीबद्व किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 5–12–96 पारित किया तथा निर्णीत किया कि आवेदक एंव अनावेदक के बीच रास्ता विवाद प्रकरण कमांक 1 अ 13/92–93 में पारित आदेश दिनांक 14–3–94 से निराकृत हुआ है , जिसके विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील करना चाहिये और विचाराधीन प्रकरण निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 9 अ 13/96–97 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–7–97 से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 5–12–96 निरस्त कर दिया तथा आवेदकगण को अनावेदकों की भूमि के किनारे किनारे 10 फीट चौड़ा रास्ता आने जाने के खोलने हेतु निर्देश दिये। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील होने पर आदेश दिनांक 3.8.2002 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 14–7–97 निरस्त किया गया एंव अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अनावेदकगण के अभिभाषक अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है तथा अधीनस्थ न्यायालयों ने भी यह माना है कि ग्राम पीरा स्थित भूमि सर्वे नबर 351,352 आवेदकगण की है जिस पर पहुंचने हेतु शौकीलाल आदि की भूमि से रूढ़िगत रास्ता है और वाद में वागड़ लगाकर रास्ता बंद किया गया है। नायव तहसीलदार एंव अपर आयुक्त ने आदेशों में माना है कि इसी रास्ते विवाद पर तहसील न्यायालय में पूर्व में प्रकरण कमांक 01/अ–13/92–93 चला है जिसमें आदेश दिनांक 14–3–94 से अंतिम निर्णय हुआ है जिसके कारण अपर आयुक्त

ने Res-Judicata लागू होना माना है। नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 14–3–94 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छाया प्रति के अवलोकन से आदेश के अंतिम पद का अँश उद्धरण इस प्रकार है –

" राजस्व निरीक्षक व्दारा प्रस्तुत रिपोर्ट एंव नक्शा से स्पष्ट है कि ख.नं. 351 पीरा रोड पर स्थित है ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रथक से अन्य कोई रास्ता दिये जाने का औचित्य नहीं है तथा यदि आवेदक अधिकार अभिलेख में दुरूस्ती चाहता है तो उसे अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये। अतः आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त होकर दा.रि. हो।"

यह सही है कि नायव तहसीलदार का उक्त निष्कर्ष अपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि कई रूढ़िगत रास्ते ऐसे हैं, जो सुखाचार हेतु उपयोग में तो लाये जाते हैं किन्तु शासकीय अभिलेख में उनका अंकन नहीं होता है। नायव तहसीलदार ने आवेदकगण की मांग पर से वादग्रस्त भूमि का स्थल निरीक्षण दिनांक 15.8.96 को किया है। स्थल निरीक्षण उपरांत पटवारी ने नायव तहसीलदार की अपेक्षा अनुसार नजरी नक्शा एंव ट्रेस नक्शा निरीक्षण के समय मौके की पाई गई स्थिति अनुसार बनाया है जो नायव तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न है इस रिपोर्ट का अंश उद्धरण इस प्रकार है –

" खसरा नं. 351 में रास्ता पूर्व में ग्राम के पंचों ने बताया कि लगभग तीस वर्ष पूर्व से रहा है जिस पर से श्री अनन्तराम शोभालाल तनय रामनाथ निकलते हैं। वर्तमान में उनके सरहदी कृषक श्री सौखीलाल वगैरह ने उक्त रास्ता बंद करके 341 में से रास्ता कर दी है जबकि उक्त रास्ते में नाला पड़ता है। अतः ग्राम के पंचों के बताये अनुसार एंव मौके की स्थिति के अनुसार पुरानी रास्ता 351 की दी जाना उचित है "।

पटवारी ने स्थल पर जो पंचगण एंव जनपद सदस्य राजनगर के समक्ष नजरी नक्शा बनाकर प्रस्तुत किया है उसके अनुसार सर्वे नंबर 351 एंव 352 में जाने वाले रास्ते को बंद कर देना एंव रास्ते में मकान पशु गृह बनाना बताया है। तात्पर्य यह है कि रास्ते विवाद पर तहसील न्यायालय में पूर्व में प्रकरण कमांक 01/अ 13/92–93 चला है जिसमें आदेश दिनांक 14–3–94 से अंतिम निर्णय की परिस्थितियॉ एंव वर्तमान प्रकरण के समय की परिस्थितियां बदली हुई है.

विचार योग्य तथ्य है कि क्या दुवारा आवेदकगण का रास्ता बंद कर दिये जाने पर उसे संहिता की धारा 131 के अंतर्गत नहीं खुलवाया जा सकता। उपरोक्त विवेचना से पाया गया कि आदेश दिनांक 14–3–94 के समय की परिस्थितियॉ एंव वर्तमान परिस्थिति मौके पर बदली हुई है और किसी भी कृषक का सुखाचार समाप्त कर दिये जाने पर वह तहसील के समक्ष बदली हुई परिस्थितियों में मांग कर सकता है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, व्दारा पारित आदेश दिनांक 14–7–97 उचित प्रतीत होता है।

5/ जहां तक नायव तहसीलदार के प्रकरण में आदेश दिनांक 14–3–94 के कारण Res-Judicata लागू होने का प्रश्न है ? नायव तहसीलदार न्यायालय में पूर्व में प्रकरण कमांक 01/अ–13/92–93 चला है जिसमें आदेश दिनांक 14–3–94 पारित करने के पूर्व वादग्रस्त भूमि के रास्ते की परिस्थितियॉ एंव वर्तमान रास्ते की परिस्थितियां भिन्न–भिन्न है क्योंकि आदेश दिनांक 14–3–94 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने वादग्रस्त भूमि का स्वयं स्थल निरीक्षण कर लिया था, जबकि नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमाक 01/95–96 अ 13 में दिनांक 15–8–96 को वादग्रस्त भूमि का स्वयं स्थल निरीक्षण किया तथा पंचगण के समक्ष तैयार कराये नजरी नक्शा, पटवारी व्दारा स्थल निरीक्षण के दौरान पाई गई परिस्थितियों पर तैयार स्थल निरीक्षण रिपोर्ट से मौके की परिस्थितियॉ बदली हुई हैं। देवा बनाम जलाल 1973 रा.नि. 519 तथा सलाउद्दीन बनाम नाथूलाल 1974 रा.नि. 400 के न्यायिक दृष्टांत है तथा म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 131 में भी व्यवस्था है कि निर्णय देने के पूर्व तहसीलदार को खुद स्थल निरीक्षण करना होगा। नायव तहसीलदार के प्रकरण कमांक 01/अ–13/92–93 में स्थल निरीक्षण किये जाने का उल्लेख नहीं है जबकि प्रकरण कमाक 01/95–96 अ 13 में नायव तहसीलदार व्दारा दिनांक 15–8–96 को वादग्रस्त भूमि का स्थल निरीक्षण किया

जिसके कारण स्थल की परिस्थितियों अनुसार अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर ने आदेश दिनांक 14.7.97 पारित करने में किसी प्रकार की भूल नहीं की है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त,सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 1929/ अ–13/96–97 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3.8.2002 एंव नायव तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमाक 01/95–96 अ 13 में पारित आदेश दिनांक 5.12.1996 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। फलतः अनुविभागीय अधिकारी राजनगर व्दारा प्रकरण कमांक 39 अ 13/96–97 में पारित आदेश दिनांक 14.07.1997 स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर